प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 85/ 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

''विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने'' संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु समय सीमा को बढ़ाया जाना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2020ः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने'' संबंधी परामर्श पत्र को जारी किया था। इस मुद्दे पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां प्राप्त प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 तथा दिनांक 29 अक्तूबर, 2020 निर्धारित की गई थी।

1. उद्योग संघों के द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग को मद्देनजर रखते हुए लिखित टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि को क्रमशः दिनांक 30 अक्तूबर, 2020 तथा 13 नवम्बर, 2020 करने का निर्णय लिया गया है। आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. टिप्पणियों को श्री एस0 टी0 अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में **advmn@trai.gov.in** पर भेजा जाए। किसी भी स्पष्टीकरण अथवा जानकारी उनसे दूरभाष नम्बर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस0 के0 मिश्रा)
प्रभारी सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।